भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,
'नारकोटिक्स हाउस' राजस्व कॉलोनी के पास,
नीमच (म.प्र.) 458441

Government of India
Ministry of Finance, Department of Revenue
Central Bureau of Narcotics
O/o the Deputy Narcotics Commissioner,
"Narcotics House", Near Rajaswa Colony,
Neemuch (M.P.) 458 441

EPABX-07423-223030 FAX- 07423-220077/220099 e-mail : dnc-neemuch@cbn.nic.in

F.No. I(22)42/Adm/HAO/2018/ Dated : .02.2018

निविदा

अफीम तौल कार्य में प्रयोग होने वाले 20–22 Hot Air Electrical Oven के रखरखाव हेतु जी.एस.टी. के अन्तर्गत सामान्यरूप से पंजीकृत फर्मों से निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

नियम व शर्ते

1. उपरोक्त ओवन विभिन्न संख्या में कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय एवं गरोठ खण्ड में रखे है जिसे निविदादाता जाँच कर मरम्मत करेगा। इस कार्य हेतु निविदादाता किसी भी कार्य दिवस में उपरोक्त कार्यालयों में कार्यालय समय सुबह 09:30 बजे से 18:00 बजे तक देख सकते हैं।
2. उक्त सभी ओवन की मरम्मत/रखरखाव तथा पूरे तौल कार्य के दौरान कार्य स्थिति में रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस हेतु उसे अलग से किसी प्रकार का प्रभार, व्यय नहीं दिया जायेगा।
3. उक्त सभी ओवन अफीम तौल कार्य हेतु विभिन्न अफीम तौल केन्द्र पर जायेंगे। अफीम तौल कार्य माह अप्रेल के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होने की संभावना है, जो लगभग 20 दिनों तक चलेगा। गरोठ एवं जावरा का तौल कार्य लगभग 10 दिन तक चलेगा। तौल कार्य के दौरान यदि ओवन में कोई खराबी आती है तो निविदादाता को सूचना मिलते ही उसे ठीक करना होगा।
4. निविदादाता को प्रति ओवन की रखरखाव की दर से निविदा करनी है।
5. सील्ड निविदा जिस पर अफीम तौल कार्य हेतु Hot Air Electrical Oven हेतु निविदा लिखा हो दिनांक 07.03.2018 को दोपहर 16:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। निविदा दिनांक 08.03.2018 को दोपहर 13:00 बजे खोली जायेगी। धरोहर राशि के रूप में रू. 5000/– मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो "आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच" के नाम देय होगा, निविदा के साथ जमा कराना होगा, जो निविदा स्वीकृत नहीं होने पर लौटा दिया जावेगा।
6. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।
7. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निविदा/सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा नई निविदा आमंत्रित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।
8. निविदा के साथ गत वर्ष की आयकर रिर्टन की प्रति एवं पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

उप नारकोटिक्स आयुक्त,
नीमच (म.प्र.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को इस विभाग की वेबसाईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरोठ खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मो को सूचित करें।

अधीक्षक (कार्य.)
नीमच (म.प्र.)